TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 7(13)/REV./GA/Rev. P./ Teh../2012/P.F.-II/ \9\infty

Dated: 67-9-12

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No. 331 dated 22.06.2012 & No. 244 dated 17.05.2012, Sh. Shivendra Kumar, Grade-I (DASS) & Sh. Ashwani Kumar, Grade-I (DASS) have joined as Tehsildar (Vivek Vihar) & Tehsildar (Preet Vihar), Distt. East on 11.07.2012 (F/N) & 23.06.2012(F/N) respectively. Now, therefore,

- 1. In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Sh. Shivendra Kumar, Grade-I (DASS) & Sh. Ashwani Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. their date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- 2. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Shivendra Kumar, Grade-I (DASS) & Sh. Ashwani Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. their date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- 3. In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Shivendra Kumar, Grade-I (DASS) & Sh. Ashwani Kumar, Grade-I (DASS) as Consolidation Officers in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, w.e.f. their date of assumption of charge and till such time as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- 4. In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954). the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Shivendra Kumar, Grade-I (DASS) & Sh. Ashwani Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. their date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bookannee V

(Kuldeep Singh Gangar) Spl. Secretary (Revenue)

ecretary (Revenue)

Dated: 07 -9 10

F No. 7(13)/REV./GA/Rev. P./ Teh../2012/P.F.-II/ QGOOD forwarded for information and necessary action to:-

- 1 Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
- 2 The Deputy Commissioner, District East.
- 3 Officers concerned through Deputy Commissioner, District East.
- 4 The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.
 - 5 C.A. to Pr. Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
 - 6 Guard file.

(D. K. SAINI)

Sub Divisional Magistrate-III (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार (राजस्व विभाग), 5 शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं०. एफ. ७/(१३)/राजस्व/जी०ए०/राज. श./तहसी./2012/पी. एफ.- II/

दिनांक:

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 331 दिनांक 22.06.2012 तथा सं0 244 दिनांक 17.05.2012 के सदंर्भ में श्री शिवेन्द्र कुमार, ग्रेड-1 (दास) और श्री अश्वनी कुमार, ग्रेड-1 (दास) ने दिनांक 11.07.2012 (पूर्वाहन) एवं 23.06.2012 (पूर्वाहन) को तहसीलदार (विवेक विहार) व तहसीलदार (प्रीत विहार) जिला पूर्व का कार्यभार संभाल लिया है। अत:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं0 17), द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री शिवेन्द्र कुमार, ग्रेड-1 (दास) और श्री अश्वनी कुमार, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तियां प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर-प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री शिवेन्द्र कुमार, ग्रेड-1 (दास) और श्री अश्वनी कुमार, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एंव विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं0 50) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री शिवेन्द्र कुमार, ग्रेड-1 (दास) और श्री अश्वनी कुमार, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शिक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं0 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री शिवेन्द्र कुमार, ग्रेड-1 (दास) और श्री अश्वनी कुमार, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर

वा लाराम । यह रेणा

(कुलदीप सिंह गंगर) विशेष सचिव (राजस्व) दिनांक: ७०- । 🔊 ।

सं०. एफ. ७/(१३)/राजस्व/जी०ए०/राज. श./तहसी./२०१२/पी. एफ.-II/ । पूर्तिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।

2. उपायुक्त राजस्व , जिला - पूर्व ।

3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला - पूर्व के माध्यम से।

प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) राजस्व विभाग को यह अधिसूचना विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5. सी.ए., प्रधान सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, ।

6. गार्ड फाईल ।

(डी. के. सेनी)

उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-III)